



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. कैलारा खामरे
Dr. K. G. Khamare
कुलसचिव
Registrar


दूरभाष / Phone : 91-7152-230902

पत्रांक : 005/2007/GAD/1(3)/2012 182
दिनांक : 07/03/2013

कार्यालयादेश

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अंग्रेजी भाषा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेशित निम्नलिखित विद्यार्थियों के आवेदन को देखते हुए उनका विषय परिवर्तन किया गया है। विषय परिवर्तन के साथ उनकी प्रथम छमाही की परीक्षा अप्रैल 2013 तथा द्वितीय छमाही की परीक्षा नवम्बर 2013 होगी, जिसका विवरण निम्नवत है:-

क्र.सं.	नाम	अंग्रेजी से चयनित भाषा में डिप्लोमा	परिवर्तित भाषा में डिप्लोमा
1	संघर्ष मिश्रा	स्पैनिश भाषा	उर्दू भाषा
2	आलोक द्विवेदी	अंग्रेजी भाषा	मराठी भाषा
3	प्रीति कुमारी	स्पैनिश भाषा	जापानी भाषा
4	बेदान्त कुमार	अंग्रेजी भाषा	मराठी भाषा
5	प्रमोद कुमार पाण्डेय	मराठी भाषा	जापानी भाषा


(कैलारा खामरे)

प्रतिलिपि :

- भाषा विद्यापीठ (उक्त के आलोक में विद्यार्थियों की कक्षाएँ आरम्भ करायें)
- परीक्षा विभाग
- हिंदी अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

कैलारा खामरे
सचिव
8/3/13

पोस्ट : गांधी हिल्स, वर्धा - 442005 (महाराष्ट्र), भारत
Post - Gandhi Hills, Wardha-442005 (Maharashtra), India
वेबसाइट/Website : www.hindivishwa.org



ज्ञान शक्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. कैलाश खामरे
Dr. K. G. Khamare
कुलसचिव
Registrar

दूरभाष / Phone : +91-7152-230902
फैक्स / Fax : +91-7152-230903

पत्रांक : 005/2009/ATT/4(1)/2012 / 84
दिनांक : 04.03.2013

परिपत्र

यह देखने में आया है कि पी-एच.डी. शोधार्थी नियमित रूप से विभाग/केंद्र में उपस्थित नहीं रहते।

सभी विभागाध्यक्षों/केन्द्राध्यक्षों से अनुरोध है कि पी-एच.डी शोधार्थियों को शोधवृत्ति निर्गत करने हेतु मासिक उपस्थिति वित्त विभाग तथा अकादमिक विभाग में नियमित रूप से भेजी जाये साथ ही शोध निर्देशक तथा विभागाध्यक्ष/केन्द्राध्यक्ष द्वारा शोध हेतु प्रवास की अनुमति दिये जाने पर अनुमति की प्रति भी वित्त/अकादमिक विभाग भेजी जाये।

(कैलाश खामरे)

प्रतिलिपि:

1. प्रतिकुलपति कार्यालय
2. वित्ताधिकारी
3. सभी विभाग/केंद्र
4. सूचना पट्ट
5. हिंदी अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।